

**राजस्थान सरकार**  
**चिकित्सा शिक्षा (ग्रुप-1) विभाग**

क्रमांक: प. 1(26)एम.ई./ग्रुप-1/2015

जयपुर, दिनांक: 19 1 MAY 2020

**आदेश**

राजस्थान चिकित्सा सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1962 के नियम-31 के अनुसार **शिशु शल्य** विशिष्टता में नियमित रूप से नियुक्त चिकित्सक शिक्षकों की दिनांक 01.04.2020 की स्थिति के अनुसार अस्थाई वरिष्ठता सूची एतद्वारा जारी की जाती है। यदि कोई चिकित्सक शिक्षक इससे परिवेदित हो तो, इसके जारी होने की तिथि से 15 दिवस में अपना अभ्यावेदन प्रमाणित दस्तावेजों सहित इस विभाग को निश्चित रूप से प्रेषित कर दें। निर्धारित समयवधि के उपरान्त प्राप्त होने वाले अभ्यावेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा एवं अन्तिम वरिष्ठता सूची जारी कर दी जावेगी :-

वरिष्ठ आचार्य/आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० अरुण कुमार गुप्ता	सामान्य	12.06.1957	2013-14	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2013
2.	डॉ० गिरीश प्रभाकर	सामान्य	04.04.1960	2014-15	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2014
3.	डॉ० अरविन्द शुक्ला	सामान्य	01.10.1960	2014-15	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2014
4.	डॉ० प्रवीण माथुर	सामान्य	15.08.1960	2017-18	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2017
5.	डॉ० विनीता चतुर्वेदी	सामान्य	29.11.1962	2017-18	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2017
6.	डॉ० सुनील कोठारी	सामान्य	12.11.1966	2019-20	वरिष्ठ आचार्य 01.04.2019

सह-आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	डीएसीपी चयन वर्ष	डीएसीपी के तहत पदोन्नति तिथि
1.	डॉ० मनीष पाठक	सामान्य	08.04.1977	2016-17	01.04.2016
2.	डॉ० गरिमा अरोड़ा	सामान्य	25.10.1974	2016-17	01.04.2016
3.	डॉ० प्रमीला शर्मा	सामान्य	11.10.1978	2019-20	01.04.2019
4.	डॉ० रमेश चन्द्र तागड	सामान्य	12.10.1971	2019-20	01.04.2019

सहायक आचार्य					
क्र.सं.	नाम चिकित्सक शिक्षक	वर्ग	जन्म तिथि	नियुक्ति तिथि/कार्यग्रहण तिथि	
1.	डॉ० अशोक कुमार गोयल	सामान्य	19.05.1973	01.09.2009 (डेफर प्रकरण)	
2.	डॉ० राहुल गुप्ता	सामान्य	18.09.1979	26.04.2017 (नियुक्ति तिथि)	
3.	डॉ० प्रदीप कुमार गुप्ता	सामान्य	13.03.1977	26.04.2017 (नियुक्ति तिथि)	
4.	डॉ० नीरज टूटेजा	सामान्य	26.09.1972	26.04.2017 (नियुक्ति तिथि)	

आज्ञा से

(सुनील शर्मा) 11/5/2020

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राज. जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, मेडिकल कॉलेज, अजमेर/बीकानेर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/उदयपुर।
3. संबंधित चिकित्सक शिक्षक द्वारा प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक मेडिकल कॉलेज।
4. ए.सी.पी., चिकित्सा शिक्षा विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

11/5/20  
(रमेश चन्द्र आर्य)  
शासन उप सचिव